न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :— 297 / 2025
निर्णय दिनांक :— 06.11.2025
बइजलास :— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. मोहम्मद वशीउल्ला पुत्र श्री मोहम्मद हबील्ला उम्र 42 वर्ष जाति मुसलमान नि० आर—50, रामगढ़ रोड, बीबी फातीमा कोलोनी, जयपुर जिला जयपुर राज०
2. मोहम्मद तारीक पुत्र श्री मोहम्मद याकूब उम्र 42 वर्ष जाति मुसलमान नि० 352, मोती डूंगरी रोड, राम भंवन धर्मशाला के सामने, जयपुर जिला जयपुर राज०

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
2. मोहम्मद इस्माइल पुत्र श्री अब्दुल अजीज उम्र 31 वर्ग जाति मुसलमान नि० 296 मीर जी का बाग, एम.एल.ए क्वाटर, संसार चन्द्र रोड, जयपुर जिला जयपुर राज०

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :— श्री भैरुलाल शर्मा वकील प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दूरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला–जयपुर

निर्णय दिनांक:— 06.11.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है जमाबंदी संवत 2075—2078 के खाता सं० 36 के आराजी ख०न० 13/1 रकबा 3.2877 है० भूमि वाके ग्राम सवाईजयसिंहपुरा तह० फागी जिला जयपुर में स्थित है। जो की प्रार्थी सं० ल० 2 एवं अप्रार्थी सं० 2 के नाम हिस्सा 2/39 — 2/39 — 2/39 दर्ज है जो की गलत है। प्रार्थना पत्र के मद सं० 1 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण की क्रयशुदा आराजीयात है जो की प्रार्थीगण द्वारा मूल खातेदार जमना बेवा भूरिया जाति कुमावत सा० देह हिस्सा 1/4 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.05.2015 के द्वारा क्रय किया जाकर उपपंजियक फागी के यहां दिनांक 04.05.2015 पुस्तक सं० 1 जिल्द सं० 308 में पृष्ठ सं० 17 क्रम सं0 2015002126 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं० 1 जिल्द सं० 1034 के पृष्ठ सं0 209 से 219 पर चस्पा किया गया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र के पद सं० 1 में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की क्रयशुदां आराजीयात है जिसमें प्राथीगण के द्वारा मूल खातेदार जमना बेवा भूरिया हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 8/13 अर्थात सम्पूर्ण में से हिस्सा 2/13 क्रय किया गया था। क्रयशुदा

उपखण्ड अधिकारी फागी

सम्पूर्ण हिस्सा 2/13 में से विक्रय पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी सं० 1 हिस्सा 1/2, प्रार्थी सं० 2 हिस्सा 1/4 तथा अप्रार्थी सं० 2 हिस्सा 1/4 अनुसार क्रय किया जाकर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि में से प्रार्थी सं० 1 हिस्सा 1/13, प्रार्थी सं० 2 हिस्सा 1/26 तथा अप्रार्थी सं० 2 हिस्सा 1/26 पर काबिज काश्त चले आ रहे है। परन्तु विक्रयं पत्र का नामान्तकरण सं0 574 दिनांक 03.07.2015 दर्ज करते समय राजस्व कारकानूनों के द्वारा सहवन से प्रार्थी सं० 1 ल० 2 का हिस्सा मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 04.05.2015 दर्ज नहीं किया जाकर मनमर्जी से बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज कर दिया गया जो की प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। उक्त इन्द्राज दूरूस्त करने से राज्य सरकार के हित प्रभावित नही होते है तथा उक्त प्रविष्ठी रिकोर्ड के अनुरूप दूरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा देय लाभों परिलाभो से वंचित होना पड रहा है। उक्त गलत इन्द्राज की प्रथम बार जानकारी दिनांक 21.04.2025 को प्रार्थीगण को केसीसी हेतु राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त करने पर जानकारी हुई है जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु अप्रार्थी ने इन्द्राज दुरूस्त करने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने की हिदायत दी। इसलिये प्रार्थना पत्र अविलम्ब प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रर्याप्त न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। श्रीमान को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 2 बाद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसलिए अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं0 1 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा जबाब पेश किया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब के तथ्यों में बताया कि वर्तमान जमाबंदी संवत 2075—78 (2076 से स्थायी) में आराजी खसरा नं. 13/1 रकबा 3.2877 हैक्टेयर वाके ग्राम सवाईजयसिंहपुरा तहसील फागी में प्रार्थी सं. 1 लगायत 2 एवं अप्रार्थी सं. 2 के नाम हिस्सा 2/39— 2/39/ 2/39 दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक रजिस्टर्ड विलेख (विक्रय—पत्र) जमना पत्नि भूरिया जाति कुमावत सा. देह से प्रार्थी सं. 1 मोहम्मद वशीउल्ला पुत्र मोहम्मद हबीबुल्ला द्वारा 1/13 हिस्से का प्रार्थी सं. 3 मोहम्मद इसमाइल पुत्र अब्दुल अजीज द्वारा हिस्से का एवं प्रार्थी सं. 3 मोहम्मद इसमाइल पुत्र अब्दुल अजीज द्वारा हिस्से 1/26 का क्रय किया गया था। जबकि नामान्तकरण सं. 574 दिनांक 03.07.2015 द्वारा सहवन से प्रार्थी सं. 1 का हिस्सा 2/39, प्रार्थी सं. 2 का हिस्सा 2/39 एवं अप्रार्थी सं. 3 का हिस्सा 2/39 राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहना आदेशिका पर अंकित किया। तथा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

मोहम्मद वशीउल्ला वगै. बनाम राज्य सरकार वगै.
मु0न0:– 297 / 2025
निर्णय दिनांक:– 06.11.2025

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 के तहत पेश किया गया है। मुताविक जमावन्दी सम्वत 2075–2078 वाके ग्राम सवाईजयसिंहपुरा मे स्थित खसरा नं. 13/1 में प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है। आराजी ख0नं0 13/1 रकबा 3.2877 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सवाईजयसिंहपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में प्रार्थीगण का दर्ज हिस्सा 2/39 – 2/39 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 04.05.2015 को उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई थी जिसे कुल 2/13 हिस्सा क्रय किया था। विक्रय पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रार्थीगण द्वारा 10–10 बिस्वा आराजी क्रय की गई है। उपर्युक्त तथ्यो के आलोक में हम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 02 का हिस्सा 2/39 – 2/39 हजफ किया जाकर प्रार्थी सं0 1 का हिस्सा 1/13 प्रार्थी सं 2 का हिस्सा 1/26 अप्रार्थी सं. 2 का हिस्सा 1/26 प्रतिस्थापित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या आराजी ख0नं0 13/1 रकबा 3.2877 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सवाईजयसिंहपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में प्रार्थीगण का दर्ज हिस्सा 2/39 – 2/39 – 2/39 हजफ फरमाया जाकर प्रार्थी सं. 1 का हिस्सा 1/13, प्रार्थी सं 2 का हिस्सा 1/26 अप्रार्थी सं. 2 का हिस्सा 1/26 वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे उक्त हिस्सानुसार अंकित कर इन्द्राज दुरूस्त किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी